प्रेस विज्ञप्ति

19.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने 17.07.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बेंगलुरु और रामनगर जिलों में 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमिता का कार्यालय और इसके अध्यक्ष एन श्रीनिवास मूर्ति और अन्य आरोपी/संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय परिसर शामिल हैं। तलाशी कार्यवाही के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेज, धन शोधन के अपराध से एकत्रित अपराध की आय से अर्जित संपत्तियों का विवरण एकत्र किया गया है।

ईडी ने कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बैंक ने अपने ग्राहकों को उनके फिक्स्ड डिपॉजिट या बैंक में रखे बचत खातों पर न तो ब्याज दिया और न ही मूलधन वापस किया। यह भी आरोप लगाया गया था कि सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक के अध्यक्ष और निदेशकों ने बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके बैंक के ग्राहकों द्वारा जमा की गई राशि को हड़प लिया और उनके साथ धोखाधड़ी की।

पीएमएलए, 2002 के तहत जांच के दौरान, यह पाया गया कि एन श्रीनिवास मूर्ति, उनकी पत्नी श्रीमती धारिणी देवी और उनकी बेटी सुश्री मोक्षतारा, जो क्रमशः शुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमिथा के अध्यक्ष, निदेशक और कार्यात्मक निदेशक हैं, बैंक से धन के हेर-फेर में सहायक थे। ईडी की जांच से यह भी पता चला कि एस एन श्रीनिवास मूर्ति ने विभिन्न वित्तीय संस्थाएं स्थापित कीं, जैसे श्रुति सौहार्द क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी, श्री लक्ष्मी महिला को-ऑप सोसाइटी (श्रीनिवास मूर्ति की करीबी रिश्तेदार सुश्री रत्नम्मा द्वारा प्रबंधित) आदि और विभिन्न जमाकर्ताओं से धोखाधड़ी करने के इरादे से डिपॉजिट स्वीकार किए।

यह भी पता चला कि श्रीनिवास मूर्ति और अन्य लोग अपने करीबी सहयोगियों के नाम पर, बिना उचित प्रक्रिया अपनाए और कभी-कभी बिना किसी संपार्श्विक के ऋण स्वीकृत करते थे। ऋण खाता बाद में एनपीए में बदल गया और एन श्रीनिवास मूर्ति और अन्य लोगों ने उक्त राशि से अपने नाम पर संपत्तियां पंजीकृत करा लीं।

ईडी की जाँच में यह भी पता चला है कि श्रीनिवास मूर्ति की बेटी सुश्री मोक्षतारा, सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमिथा के कर्मचारियों को एसआरओ के कार्यालय ले जाती थीं और उनके नाम पर संपत्तियाँ खरीदती थीं और साथ ही अपने नाम पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी प्राप्त कर लेती थीं।

आगे की जाँच जारी है।